न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 15 / 2025(GCMS 2025/96)
(RTI No. - 212603158468279)

श्री रामेश्वरल लाल जोशी निवासी 10–11 माडल कॉलोनी, सिटी हॉस्पीटल के पास, श्रीगंगानगर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं **अति. जिला कलक्टर** (प्रशासन), श्रीगंगानगर

19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामेश्वर लाल जोशी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2024 से सूचना चाही थी, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 235 दिनांक 03.05.2024 प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा / सामान्य शाखा / जिला अभिलेखागार शाखा को हस्तांतरित कर दी थी और प्रार्थी अनेक कार्य दिवसों में उक्त तीनों शाखाओं में उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी को पत्रावली तलाश कर, वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामेश्वर लाल जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से सूचना चाही गई थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ पेश नहीं की है।

प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा ने अपने पत्रांक एफ34(8)(5) / विविध / सामान्य / 2024 / 2094 दिनांक 31.05.202[illegible] [illegible]वगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से [illegible] [illegible] द्वारा अपने पत्रांक 8372 दिनांक 01.09.2027 से राजस्व शाखा को [illegible]जवाई गई है। इ[illegible]र प्रभारी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जि.अभि. /2024/67 दिनांक 19.05.2025 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाये जाने के कारण उनके द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा/राजस्व शाखा को पत्र जारी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में सामान्य शाखा से संबधित पत्रावली का जवाब जारी करना बताया एवं राजस्व शाखा से कोई जवाब प्राप्त नहीं होना बताया गया है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )आरटीआई रामेश्वरलाल जोशी/रजास्व/2024/836 दिनांक 25.03.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्री रामेश्वरलाल जोशी निवासी 10–11 मॉडल कॉलोनी सिटी हॉस्पीटल के पास श्रीगंगानगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2024 (प्राप्ति दिनांक 15.05.2024) इस कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए निम्नांकित सूचना चाही गई थी, जो निम्नानुसार है।
>
> 1. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत लेने नकल दिनाक 11/3/24 को प्रस्तुत की थी व नकल दिनांक 8/2/17 क्रमांक एफ12(3)() राजस्व/17/7102, एवं पत्र क्रमांक 40 (33) सामान्य/217/7747 दिनांक 31.07.2017 की प्रमाणित प्रतियां।
>
> आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1561 दिनांक 30.05.2024 द्वारा आवेदक श्री रामेश्वरलाल जोशी को सूचित किया गया था कि इस अनुभाग से संबंधित दिनांक 08.02.2017 क्रमांक एफ12(3)() राजस्व/17/7102 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया है। **आवेदन पत्र में पत्रावली का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किये जाने के कारण वांछित पत्रावली तलाश किये जाने पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है।** अतः आप किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली का पूर्ण विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावे ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये दिनांक **08.02.2017 का पत्र क्रमांक 7102 इस कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया** है तथा **पत्र क्रमांक 40(33) सामान्य/217/7747 दिनांक 31.07.2017 में आवेदक स्वयं पक्षकार नहीं है।** आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है. जिसमें कोई जनहित दिखाई नहीं देता है, इसलिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सूचना आवेदक को देय नहीं है। अतः अपील संख्या 15/2025 रामेश्वरलाल जोशी बनाम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई अभिलेख अनुसार उपलब्ध नहीं है अथवा तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण विचाराधीन अपील खारिज किये जाने योग्य है।

लोक सूचना अधिकारी एवं (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न रूपों में सामग्री तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा वांछित सचूनाओं से सम्बन्धित पत्रावली की तालाश करें और कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार देय सूचना को, अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:48 IST
Reason: SelfAttested